राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/2010 जयपुर, दिनांक 24 SEP 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **ई–मस्टररोल जारी करने के संबन्ध में।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 10.06.2010**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से राज्य के समस्त जिलों में ई–मस्टररोल जारी करने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। आशा है कि इस संबन्ध में आप द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही होगी, संबन्धित कार्मिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया गया होगा एवं ई–मस्टररोल जारी करने हेतु आवश्यकतानुसार हार्डवेयर, प्रिन्टर आदि की व्यवस्था की जा चुकी होगी।

ई–मस्टररोल के प्रपत्र में कुछ संशोधन विभाग द्वारा कराये गये है, जो कि एनआईसी द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर में किये जा चुके हैं। अकुशल श्रमिकों के साथ–साथ कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों के प्रयोग हेतु भी ई–मस्टररोल का ही उपयोग किया जाना है। ई–मस्टररोल जारी करने एवं किये गये संशोधनों के अनुरूप ई–मस्टररोल जारी करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

1. एमआईएस हेतु नवीनतम सॉफ्टवेयर (वर्जन–5) का ही उपयोग किया जावें।
2. ई–मस्टररोल से भुगतान के लिए **पोस्ट ऑफिस से मास्टर डाटा निर्धारित प्रारूप में संकलित किया जाना आवश्यक** है।
3. **श्रमिक के बैंक/पोस्ट ऑफिस/जीएसएस खाता का विवरण एमआईएस में फीड किया जाना आवश्यक है।** खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में श्रमिक को कार्य का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा।
4. राज्य सरकार द्वारा **मस्टररोल के प्रारूप में बदलाव** कर दिया गया है। इस प्रारूप को **ऑफलाईन सॉफ्टवेयर में भी अपडेट** कर दिया गया है। अतः इसे भारत सरकार की वैबसाइट (nrega.nic.in) से डाउनलोड कर जिले की समस्त पंचायत समितियों में इन्स्टॉल कर नये ई–मस्टररोल प्रारूप को तुरन्त लागू किया जावें।
5. ऑफ लाईन सॉफ्टवेयर के जरिये अब अकुशल श्रमिकों हेतु प्रयोग में लिये जाने वाले मस्टररोल के साथ–साथ अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों के मस्टररोल भी प्रि–प्रिन्टेड मस्टररोल ही काम में लिये जायेंगे। अकुशल श्रमिकों के लिये प्रयोग में लिये जाने वाले मस्टररोल के पृष्ठ भाग पर मेट माप प्रपत्र प्रिन्ट किया जायेगा तथा

अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले मस्टररोल के पृष्ठ भाग पर ट्रेकिंग ऑफ मस्टररोल प्रपत्र का प्रिन्ट लिया जाना है। ट्रेकिंग ऑफ मस्टररोल में प्रत्येक प्रकिया के लिए निर्धारित अधिकतम दिनांक स्वत: ही अंकित होगी। यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रत्येक स्तर पर कार्य का निष्पादन, निर्धारित अधिकतम दिनांक से पूर्व ही सम्पादित हो जावें।

6. दोनों प्रकार के मस्टररोल की **प्रिन्टिंग केवल लीगल साईज पेपर पर ही** की जानी है।
7. अकुशल तथा अर्द्धकुशल/कुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के उपयोग में ली जाने वाली मस्टररोलों पर उनके नम्बर लगातार कम में ही होंगे। अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों की मस्टररोल को अलग से दर्शाये जाने हेतु हरे रंग का पेपर काम में लिया जावें। परन्तु यह ध्यान रखा जावें कि दोनों प्रकार की मस्टररोल की प्रिन्टिंग के लिए **लीगल साईज का पेपर ही उपयोग में लिया जावें।**
8. जॉब कार्ड धारकों का फोटोग्राफ प्राथमिकता पर अपलोड कराएं।

उक्तानुसार कार्यवाही तुरन्त सम्पादित करते हुए दिनांक 01.10.2010 से जिले की सभी पंचायत समितियों में नये मस्टररोल प्रारूप के अनुसार ई–मस्टररोल जारी किया जाना एवं मस्टररोल ट्रेकिंग किया जाना सुनिश्चित करें। नवीन प्रकिया के फलस्वरूप श्रमिकों को भुगतान में लगने वाले समय में होने वाली कमी के संबन्ध में विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

जिला कार्यक्रम समन्वयक का यह दायित्व होगा कि वो समस्त **कार्यक्रम अधिकारी, एमआईएस मैनेजर, अधिशाषी अभियन्ता नरेगा तथा सहायक अभियन्ताओं की कार्यशाला अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आयोजित कर** यह सुनिश्चित करें कि ये निर्देश समस्त ग्राम रोजगार सहायक तथा पंचायत/पंचायत समिति में कार्यरत समस्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तक पहूँचे व इनकी कियान्विति ग्राम स्तर तक संभव हो सकें।

भवदीय

23/9/10

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
3. एमआईएस मैनेजर, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

23/9

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस